File No.F6 (03)/QGC/DDA/LG Cup/2025-26/744 **Dated.03.02.2026**

NIP No.01/QGC/DDA/LG-Cup/2025-26

डीडीए, कुतुब गोल्फ कोर्स में गोल्फ टूर्नामेंट (एलजी कप) के आयोजन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना (एनआईपी)

1. परिचय:

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) वर्ष 2000 से कुतुब गोल्फ कोर्स में प्रतिष्ठित गोल्फ टूर्नामेंट "लेफ्टिनेंट गवर्नर गोल्फ कप" का वार्षिक आयोजन कर रहा है, जिसमें 6 दिनों की अवधि में पेशेवरों सहित 1000 से अधिक गोल्फ प्रेमी भाग लेते हैं। डीडीए मार्च 2026 में कुतुब गोल्फ कोर्स, प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली-110017 में एलजी कप के आयोजन की प्रक्रिया में है

यह टूर्नामेंट दो सप्ताह तक चलेगा और इसमें शुक्रवार, शनिवार और रविवार सहित छह दिन शामिल होंगे। इसमें लगभग 1400 प्रतिभागी भाग लेंगे। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल अंतिम दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे।

प्रायोजक जुटाने के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली और गोल्फ टूर्नामेंट के आयोजन का अनुभव रखने वाली इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्यक्षेत्र:

"लेफ्टिनेंट गवर्नर गोल्फ कप" टूर्नामेंट के आयोजन में होने वाला व्यय निम्नलिखित मदों के अंतर्गत होगा: -

a) सभी दिनों में तंबू और उससे संबंधित फर्नीचर, जिसमें मंच और फूलों की सजावट शामिल है, उपलब्ध रहेंगे।

b) एफजे, टेलरमेड, टाइटलिस्ट और ग्रेग नॉर्मन जैसे ब्रांडों के गोल्फ ब्रांडेड गुडी बैग में ब्रांडेड टी-शर्ट, गोल्फ तौलिया (40*60 सेमी), कैप, मेटल मैग्नेटिक क्लिप मार्कर, डफल बैग, इंसुलेटेड कॉफी मग आदि जैसे उपहार शामिल होंगे (1400) (विवरण प्रबंधन द्वारा दिया जाएगा)।

c) स्कोरर और अंतिम परिणाम का प्रावधान।

d) ड्रोन सहित फोटोग्राफी (स्थिर/वीडियो)। प्रत्येक गोल्फर को चार गेंदों की तस्वीर सौंपी जाएगी।

e) विजेता, उपविजेता और प्रायोजकों के लिए स्मृति चिन्ह/ट्रॉफी (विवरण प्रबंधन द्वारा दिया जाएगा)।

f) ब्रांडिंग (होर्डिंग्स लगाना, कोलाज आदि)।

g) मुद्रण सामग्री।

h) कैडी शुल्क।

i) लाइव संगीत के लिए प्रस्तावित बैंड। (अस्थायी रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक)।

j) चिकित्सा व्यय (प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा)।

k) आरएसवीपी कंसीयर्ज डेस्क 4 बॉल प्रतिभागियों के डेटा को संकलित करने में सहायता प्रदान करेगा, जिसमें ड्रॉ शीट बनाना और प्रतिभागी को इसकी सूचना देना शामिल है।

l) उपरोक्त सूची संपूर्ण नहीं है और आयोजन के सफल समापन के लिए एजेंसी को स्थल की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करनी होगी।

इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियां कमिश्नर (स्पोर्ट्स) और सेक्रेटरी, क्यूजीसी के निर्देशों और समग्र पर्यवेक्षण के तहत काम करेंगी।

उपहारों के डिजाइन और गुणवत्ता को क्यूजीसी प्रबंधन से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा।

3. <u>पात्रता मानदंड:</u>

a) इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी एक पंजीकृत कानूनी इकाई होनी चाहिए और उसके पास वैध जीएसटीआईएन और पैन होना चाहिए

b) बोलीदाता का न्यूनतम वार्षिक कारोबार 2024-25 में समाप्त होने वाले पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम 75 लाख रुपये होना चाहिए।

c) बोली लगाने वाली संस्थाओं के पास पिछले 5 वित्तीय वर्षों (2024-25 तक) में से किसी भी 3 वित्तीय वर्षों में कम से कम 100 प्रतिभागियों वाले कम से कम 3 से 4 गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित

करने का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्ताव के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

d) बोली लगाने वाली संस्थाओं को भारत में किसी भी सरकार (केंद्र या राज्य) या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या किसी भी गोल्फ कोर्स द्वारा ब्लैकलिस्ट या प्रतिबंधित नहीं किया गया होना चाहिए।

e) बोली लगाने वाली संस्थाओं के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित/चल रही नहीं होनी चाहिए।

f) खेल आयोजन/ गोल्फ/ प्रमुख थीम आधारित मनोरंजन कार्यक्रम।

4. <u>चयन मानदंड:</u>

इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों का चयन मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा

कुल आवंटित अंक – 75

योग्यता प्रतिशत - 35%

क्रमांक	तकनीकी मूल्यांकन	अधिकतम अंक
1	**पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में उच्चतम तीन वित्तीय वर्षों का औसत कारोबार** i. 75 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का औसत कारोबार – 8 अंक ii. औसत कारोबार 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये से अधिक – 16 अंक iii. औसत कारोबार 2 करोड़ रुपये से अधिक – 25 अंक	25
2	**पिछले 3 वर्षों में खेल आयोजनों/ गोल्फ आयोजनों/ प्रमुख थीम आधारित मनोरंजन आयोजनों की संख्या** i. पिछले 3 वर्षों में अधिकतम 5 टूर्नामेंट आयोजित किए गए - 8 अंक (गैर-गोल्फ श्रेणी के आयोजन के लिए 50% अंक दिए जाएंगे)। ii. पिछले 3 वर्षों में अधिकतम 8 टूर्नामेंट आयोजित किए गए - 16 अंक (गैर-गोल्फ श्रेणी के आयोजनों के लिए 50% अंक दिए जाएंगे)। iii. पिछले 3 वर्षों में 8 से अधिक टूर्नामेंट आयोजित किए हों - 25 अंक (गैर-गोल्फ श्रेणी के आयोजनों के लिए 50% अंक दिए जाएंगे)।	25
3	**एजेंसी द्वारा डीडीए के साथ साझा किया जाने वाला राजस्व**	25

	i. 6 लाख रुपये तक – प्रति 1 लाख रुपये पर 1 अंक, न्यूनतम लाख तक पूर्णांकित। (उदाहरण के लिए, यदि डीडीए के साथ साझा किया जाने वाला प्रस्तावित राजस्व 3.50 लाख रुपये है, तो 3 अंक दिए जाएंगे)। ii. 7 लाख रुपये से 16 लाख रुपये तक - प्रति 1 लाख रुपये पर 1.5 अंक, न्यूनतम लाख रुपये तक पूर्णांकित। iii. 17 लाख रुपये और उससे अधिक – अधिकतम 25 अंक।	

यदि दो या दो से अधिक एजेंसियों के अंक समान हों, तो गोल्फ प्रतियोगिताओं के आयोजन का अपेक्षाकृत अधिक अनुभव रखने वाली एजेंसी को योग्य माना जाएगा। टाई होने की स्थिति में, एजेंसी के चयन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी।

5. <u>सुरक्षा जमा:-</u>

a) चयनित एजेंसी को 10.00 लाख रुपये (केवल दस लाख रुपये) की राशि सुरक्षा जमा के रूप में सावधि जमा/आरटीजीएस के रूप में जमा करनी होगी, जो अनुबंध की अवधि पूरी होने के 1 महीने बाद बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी

b) सावधि जमा के मामले में, इसे "सीएयू स्पोर्ट्स, डीडीए" के नाम पर जारी किया जा सकता है। आरटीजीएस के मामले में, खाते का विवरण इस प्रकार है:

   i. नाम: सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए
   ii. खाता संख्या: 1611994900
   iii. IFSC: KKBK0000184

c) सुरक्षा जमा की ज़ब्ती की शर्तें इस दस्तावेज़ के खंड 10 और सत्यनिष्ठा समझौते में सूचीबद्ध हैं। हालाँकि, यह एक संपूर्ण सूची नहीं है और डीडीए आयुक्त (खेल), डीडीए द्वारा एजेंसी की ओर से उल्लंघन/अपराध माने जाने वाले मामलों में सुरक्षा जमा को ज़ब्त करने का अधिकार डीडीए के पास सुरक्षित है

6. <u>प्री-बिड मीटिंग:-</u>

a) प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना (एनआईपी) से संबंधित किसी भी मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए **6 फरवरी 2026 को अपराह्न 02:00** बजे कुतुब गोल्फ कोर्स, प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली-110017 में एक प्री-बिड मीटिंग आयोजित की जाएगी

b) कुताब गोल्फ कोर्स का प्रबंधन प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर समयसीमा में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. कार्यक्रम आयोजक को डीडीए द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं:-

a) पाठ्यक्रम पर कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं है
b) टूर्नामेंट की अवधि के दौरान होर्डिंग्स/प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
c) खाद्य सामग्री के भंडारण के लिए पर्याप्त क्षेत्र निर्धारित किया गया है।
d) बैक ड्रॉप सहित 12' x 12' आकार के अधिकतम 20 होर्डिंग्स।
e) प्रत्येक ऑटो प्रायोजक को टूर्नामेंट की अवधि के दौरान प्रति ब्रांड अधिकतम 2 कारों या 4 दोपहिया वाहनों के लिए प्रदर्शन स्थान दिया जाएगा। (अतिरिक्त प्रदर्शन स्थान के लिए शुल्क लिया जाएगा)।
f) प्रत्येक प्रायोजक के लिए एक कियोस्क। (अतिरिक्त डिस्प्ले के लिए शुल्क लिया जाएगा)।
g) टूर्नामेंट की अवधि के दौरान डीडीए के प्रत्येक खेल परिसर/गोल्फ कोर्स में 2 होर्डिंग प्रदर्शित करने की अनुमति है। (अतिरिक्त होर्डिंग प्रदर्शित करने पर शुल्क लगेगा)।
h) शराब का लाइसेंस डीडीए द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
i) डीडीए द्वारा निम्नलिखित जनशक्ति उपलब्ध कराई जाएगी: 2 कैडी मास्टर, 4 स्टार्टर और 6 मार्शल।

8. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़

a) प्रस्ताव स्वीकृति पत्र की स्कैन की गई प्रति (कंपनी के लेटर हेड पर दी जानी है)।
b) पैन नंबर की स्कैन की हुई प्रति।
c) जीएसटी पंजीकरण की स्कैन की हुई प्रति।
d) वर्ष 2024-25 में समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के आयकर रिटर्न की स्कैन की गई प्रति।
e) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत ऑडिट और प्रमाणित किए गए टर्नओवर सर्टिफिकेट की स्कैन की गई प्रति, जिसके पास वैध यूडीआईएन हो।
f) पैराग्राफ 2 में उल्लिखित अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।
g) 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर लिखित वचनपत्र की स्कैन की गई प्रति जिसमें यह प्रमाणित हो कि बोली लगाने वाली एजेंसी को भारत में किसी भी सरकार (केंद्रीय या राज्य) या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या किसी गोल्फ कोर्स द्वारा ब्लैकलिस्ट या प्रतिबंधित नहीं किया गया है और किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित/चल रही नहीं है।
h) सत्यनिष्ठा समझौते का पत्र।
i) एनआईपी की शर्तों के अनुसार आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

आवश्यक जानकारी और/या दस्तावेजों की कमी वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रस्ताव जमा करने के लिए केवल प्रासंगिक दस्तावेज ही अपलोड करें।

9. <u>नियम एवं शर्तें</u>

a) भोजन और पेय पदार्थ तथा शराब सेवाओं के खर्चों को छोड़कर पूरा खर्च व्यक्ति/इवेंट मैनेजर द्वारा वहन किया जाएगा और डीडीए द्वारा कोई खर्च वहन नहीं किया जाएगा
b) क्लब के सदस्य, पे एंड प्ले, डीडीए द्वारा निर्धारित दर के अनुसार शुल्क लेंगे।
c) उपहारों से संबंधित जानकारी क्यूजीसी के सचिव से प्राप्त की जा सकती है।

10. एनआईपी की वैधता बोली खोलने की तिथि से 75 दिनों के लिए होगी

11. आयुक्त (खेल) या उनके द्वारा अधिकृत डीडीए का कोई अन्य अधिकारी एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में, डीडीए अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, एजेंसी द्वारा संतोषजनक सेवा प्रदान करने में विफल रहने की स्थिति में डीडीए सुरक्षा जमा राशि जब्त कर लेगा। इस संबंध में आयुक्त (खेल) डीडीए का निर्णय अंतिम होगा

12. एजेंसी संबंधित अधिकारियों के पास जीएसटी सहित सभी करों/शुल्कों को जमा करने के लिए जिम्मेदार होगी

13. यदि रिक्त स्लॉट उपलब्ध हैं, तो QGC पे एंड प्ले की अनुमति देने का अधिकार सुरक्षित रखता है

14. एजेंसी और उसके एजेंटों, प्रतिनिधियों या कर्मचारियों को उक्त सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। उक्त सेवाएं प्रदान करते समय एजेंसी के एजेंटों, प्रतिनिधियों या कर्मचारियों द्वारा डीडीए को होने वाली किसी भी हानि, क्षति या चोरी के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी, जिसकी वसूली एजेंसी की सुरक्षा जमा राशि से की जाएगी।

15. प्रस्तावित अनुबंध/अनुबंध अवधि के दौरान एजेंसी को अपना काम किसी अन्य पक्ष या उप-एजेंसी को देने की अनुमति नहीं होगी, न ही फर्म के नाम में परिवर्तन या इकाई के गठन में परिवर्तन डीडीए की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुमत होगा

16. किसी अन्य प्रचलित प्रथा, या किसी पूर्व समझौते या लिखित वार्ता, या किसी निविदा शर्त, या इस समझौते में किसी अन्य खंड या अनुबंध, या इस समझौते में संदर्भित किसी दस्तावेज़, जीसीसी या सीपीडब्ल्यूडी नियमावली में किसी प्रावधान, या किसी परिपत्र, दिशानिर्देश, निर्देश या किसी नियम या विनियम के बावजूद, यह सहमति दी जाती है कि इस समझौते के पक्षों के बीच किसी भी विवाद का समाधान दिल्ली की अदालतों के निर्णय द्वारा किया जाएगा और विवाद का समाधान मध्यस्थता या किसी अन्य वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के माध्यम से नहीं किया जाएगा

17. अनुबंध की समाप्ति

I. यह अनुबंध किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है। यदि ऊपर उल्लिखित नियमों और विनियमों का कोई उल्लंघन होता है, तो प्रबंधन इस अनुबंध को समाप्त करने की सिफारिश कर सकता है

II. पक्षों के बीच किसी भी विवाद/मतभेद की स्थिति में, मामला डीडीए के खेल आयुक्त को भेजा जाएगा। डीडीए के खेल आयुक्त का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

III. डीडीए और एजेंसी/व्यक्ति के बीच आपसी सहमति और लिखित समझौते के बिना, एजेंसी को गोल्फ कोर्स परिसर की सेवाओं को उप-अनुबंध पर देने, पट्टे पर देने या किराए पर देने की अनुमति नहीं है।

IV. खराब गुणवत्ता वाले भोजन या सेवा, या एजेंसी/व्यक्ति के उत्पादों और सेवाओं से संबंधित किसी भी शिकायत के कारण किसी भी पक्ष द्वारा शुरू किए गए किसी भी दावे, शिकायत या अन्य कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले सभी तृतीय पक्ष दावों और किसी भी प्रकार की देनदारी के लिए एजेंसी/व्यक्ति जिम्मेदार होगा। एजेंसी/व्यक्ति किसी भी कानून, अनुबंध के उल्लंघन, या किसी अन्य दायित्व के उल्लंघन के कारण QGC और DDA को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति करते रहने के लिए सहमत है।

V. डीडीए के साथ अनुबंध करने से एजेंसी को क्यूजीसी, डीडीए या उसके परिसर की किसी भी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, स्वामित्व या हित प्राप्त नहीं होगा। अनुबंध के तहत केवल टूर्नामेंट की अवधि के दौरान गोल्फ कोर्स के निर्दिष्ट हिस्से का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। यह व्यवस्था किसी भी प्रकार से लाइसेंसधारी के पक्ष में पट्टा या ग्रहणाधिकार स्थापित नहीं करती है।

18. अप्रत्याशित घटना:

निविदा के प्रावधानों के बावजूद, सफल बोलीदाता सुरक्षा जमा राशि की ज़ब्ती, निर्धारित क्षतिपूर्ति या चूक के कारण अनुबंध की समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और उस हद तक कि अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन में देरी या अन्य विफलता अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेजर) का परिणाम है।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ ऐसी घटना है जो सफल एजेंसी के नियंत्रण से परे हो और जिसमें सफल एजेंसी की कोई गलती या लापरवाही न हो तथा जो उसकी संप्रभु या संविदात्मक क्षमता में अप्रत्याशित हो। ऐसी घटनाओं में दैवीय आपदाएँ, युद्ध या क्रांतियाँ, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध और माल ढुलाई पर प्रतिबंध आदि शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। "अप्रत्याशित घटना" की स्थिति है या नहीं, इसका निर्णय डीडीए द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम और सफल एजेंसी तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

यदि सफल बोलीदाता अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेजर) के कारण इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो उसे अप्रत्याशित घटना की अवधि के लिए दायित्व से मुक्त

कर दिया जाएगा। यदि ऐसी अप्रत्याशित घटना छह महीने से अधिक समय तक बनी रहती है, तो डीडीए को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, ऐसी स्थिति में उसे पीबीजी राशि वापस कर दी जाएगी।

यदि कोई अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेजर) उत्पन्न होती है, तो सफल बोलीदाता को ऐसी घटना उत्पन्न होने की तिथि से 14 दिनों के भीतर डीडीए को लिखित रूप में सूचित करना होगा। सफल बोलीदाता को अप्रत्याशित घटना की स्थिति समाप्त होने के 3 दिनों के भीतर डीडीए को सूचित करना होगा। मामलों की जांच करने के बाद, डीडीए निर्णय लेगा और अप्रत्याशित घटना की अवधि के दौरान आवश्यकता पड़ने पर कार्य पूरा करने के लिए उपयुक्त अतिरिक्त समय प्रदान करेगा। यदि ऐसी अप्रत्याशित घटना छह महीने से अधिक समय तक चलती है, तो डीडीए को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, ऐसी स्थिति में सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जाएगी।

19. इच्छुक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियां वित्तीय पहलुओं सहित अपना पूरा प्रस्ताव **10 फरवरी 2026 को दोपहर 3.00** बजे तक सचिव, क्यूजीसी, प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली- 110017 (टेलीफोन नंबर 011-20861731) को भेज सकती हैं। इसकी एक प्रति ईमेल द्वारा भी भेजी जा सकती हैqgcdda@yahoo.co.inऔरcommrsprts@dda.org.inभौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपूर्ण प्रस्तावों के कारण आवेदन रद्द कर दिया जाएगा

एई (सिविल)/ क्यूजीसी
दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्रस्ताव स्वीकृति पत्र
(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाना चाहिए)

दिनांक:

प्रति,

_____
_____
_____
_____

विषय: प्रस्ताव की शर्तों और नियमों की स्वीकृति।

कार्य का नाम: ……..

श्रीमान:
……..

प्रिय महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त वेबसाइटों में दिए गए आपके विज्ञापन के अनुसार, उपर्युक्त 'प्रस्ताव/कार्य' के लिए प्रस्ताव दस्तावेज़ वेबसाइटों से डाउनलोड/प्राप्त कर लिए हैं, जिनका नाम है:

_____

2. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि मैंने/हमने प्रस्ताव दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या _____ से _____ तक के सभी नियम और शर्तें पढ़ ली हैं (अनुलग्नक(नों), अनुसूची(नों), आदि सहित, जो अनुबंध समझौते का हिस्सा हैं) और मैं/हम इसमें निहित नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे/करेंगे।

3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठनों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शुद्धिपत्रों को भी ध्यान में रखा गया है।

4. मैं/हम एतद्द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव दस्तावेज़(दस्तावेज़ों)/संशोधनों की प्रस्ताव शर्तों को पूर्णतः स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं।

5. यदि इस प्रस्ताव के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है, तो आपका विभाग/संगठन किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रस्ताव/बोली को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा, और यदि प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो पूरी सुरक्षा जमा राशि को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा।

आपका विश्वासी,

(बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)

<u>सत्यनिष्ठा समझौता</u>

को

_____
_____
_____
_____

विषय: प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

कार्य का नाम:

उपशीर्षक:-

प्रिय महोदय,

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि डीडीए प्रस्ताव/बोली दस्तावेज़ के साथ संलग्न सत्यनिष्ठा समझौते में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है

मैं/हम सहमत हैं कि प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एनआईपी) एक प्रस्ताव आमंत्रण है, जो इस शर्त पर दिया गया है कि मैं/हम संलग्न सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो प्रस्ताव दस्तावेजों का अभिन्न अंग है; अन्यथा मैं/हम बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित हो जाएंगे। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि बोली प्रस्तुत करना एनआईपी की इस शर्त की बिना शर्त और पूर्ण स्वीकृति माना जाएगा।

मैं/हम सत्यनिष्ठा समझौते की स्वीकृति और अनुपालन की पुष्टि करते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि उक्त सत्यनिष्ठा समझौते का निष्पादन मुख्य अनुबंध से अलग और विशिष्ट होगा, जो डीडीए द्वारा प्रस्ताव/बोली की अंतिम स्वीकृति के बाद अस्तित्व में आएगा। मैं/हम सत्यनिष्ठा समझौते की अवधि को स्वीकार करते हैं, जो संलग्न सत्यनिष्ठा समझौते के अनुच्छेद 1 के अनुरूप होगी।

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि यदि प्रस्ताव/बोली जमा करते समय मैं/हम सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे स्वीकार करने में विफल रहते हैं, तो डीडीए को प्रस्ताव/बोली की शर्तों के अनुसार बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने और प्रस्ताव/बोली को अस्वीकार करने का पूर्ण, असीमित और निरर्थक अधिकार होगा।

भवदीय

<u>सत्यनिष्ठा समझौता</u>

(बोलीदाता और डीडीए की ओर से संबंधित अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है)

सत्यनिष्ठा समझौता

यह सत्यनिष्ठा समझौता ……दिन को ……20…… को किया गया है

बीच में

दिल्ली विकास प्राधिकरणदिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकरण, जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता हैAD/RE/AE/JE_____ (खेल परिसर/गोल्फ कोर्स का पता) _____(इसके बाद 'प्रधान/मालिक' के रूप में संदर्भित, जिसमें इसके उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइनियों को भी शामिल किया जाएगा, जब तक कि यह इस संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो)

और

……

(व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम और पता)

इसके माध्यम से…… (जिसे इसके बाद "बोलीदाता/एजेंसी" कहा जाएगा और इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह इस अनुबंध के अर्थ या संदर्भ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी और अधिकृत असाइनमेंट शामिल होंगे)

प्रस्तावना

चूंकि प्रिंसिपल/मालिक ने प्रस्ताव एनआईपी संख्या…… (जिसे इसके बाद "प्रस्ताव/बोली" कहा जाएगा) जारी किया है और निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत, M/o _____ के लिए अनुबंध प्रदान करने का इरादा रखता है

कार्य का नाम: _____

_____

_____

_____

श्रीमान:_____

इसके बाद इसे "अनुबंध" कहा जाएगा और चूंकि मूलधन/मालिक अपने बोलीदाता(कों) और एजेंसी(यों) के साथ अपने संबंधों में देश के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के किफायती उपयोग और निष्पक्षता/पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

और चूंकि उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों पक्ष इस सत्यनिष्ठा समझौते (जिसे आगे "सत्यनिष्ठा संधि" या "समझौता" कहा जाएगा) में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसके नियम और शर्तें प्रस्ताव/बोली दस्तावेजों और पक्षों के बीच अनुबंध का अभिन्न अंग मानी जाएंगी।

अतः, इस समझौते में निहित पारस्परिक अनुबंधों के मद्देनजर, पक्षकार निम्नलिखित बातों पर सहमत होते हैं और यह समझौता निम्नलिखित बातों का गवाह है:

अनुच्छेद 1: मुख्य व्यक्ति/मालिक की प्रतिबद्धता

1. प्रिंसिपल/मालिक भ्रष्टाचार को रोकने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है:

a. प्रिंसिपल/मालिक का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के माध्यम से, प्रस्ताव या अनुबंध के निष्पादन के संबंध में, अपने लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी ऐसे भौतिक या अमूर्त लाभ की मांग नहीं करेगा, न ही उसका वादा लेगा और न ही उसे स्वीकार करेगा, जिसका वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है।
b. बोली प्रक्रिया के दौरान, मुख्य पक्ष/मालिक सभी बोलीदाताओं के साथ निष्पक्ष और तर्कसंगत व्यवहार करेगा। विशेष रूप से, बोली प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, मुख्य पक्ष/मालिक सभी बोलीदाताओं को एक समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता को ऐसी गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिससे बोलीदाता को बोली प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में कोई लाभ प्राप्त हो सके।
c. मुख्य स्वामी/मालिक बोली प्रक्रिया से ऐसे किसी भी व्यक्ति को बाहर करने का प्रयास करेगा, जिसका अतीत में आचरण संदिग्ध रहा हो।पक्षपातपूर्ण रहा हैप्रकृति।

2. यदि मूलधन/स्वामी प्राप्त करता हैयदि किसी कर्मचारी के आचरण के संबंध में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) के तहत आपराधिक अपराध है या इसमें उल्लिखित सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, या इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो प्रिंसिपल/मालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अतिरिक्त अपनी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

अनुच्छेद 2: बोलीदाता/एजेंसी की प्रतिबद्धता

1. यह आवश्यक है कि प्रत्येक बोलीदाता/एजेंसी (जिसमें उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और एजेंट शामिल हैं) उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें, और बोली प्रक्रिया के दौरान और अनुबंध के वार्ता या आवंटन के दौरान, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या जबरदस्ती या मिलीभगत के सभी संदिग्ध कृत्यों की जानकारी सरकार/विभाग को दें, जिसकी उन्हें जानकारी है या उन्हें पता चलता है

2. बोलीदाता/एजेंसी स्वयं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। यह बोली प्रक्रिया में अपनी भागीदारी और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है

a. बोलीदाता/एजेंसी, प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, बोली प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में शामिल प्रिंसिपल/मालिक के किसी भी कर्मचारी को या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भी भौतिक या अन्य लाभ प्रदान नहीं करेंगे, जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, ताकि बोली प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त किया जा सके।
b. बोलीदाता/एजेंसी किसी अन्य बोलीदाता के साथ किसी भी प्रकार का गुप्त समझौता या सहमति, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक, नहीं करेंगे।

   यह विशेष रूप से कीमतों, विशिष्टताओं, प्रमाणन, सहायक अनुबंधों, बोलियों को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत न करने या प्रतिस्पर्धा को सीमित करने या बोली प्रक्रिया में गुटबंदी करने के लिए की गई किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।

c. बोलीदाता/एजेंसी संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे। इसके अलावा, बोलीदाता/एजेंसी) करेगाव्यवसायिक संबंध के हिस्से के रूप में प्रिंसिपल/मालिक द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ का अनुचित रूप से (प्रतियोगिता या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से) उपयोग नहीं करेगा, या दूसरों को नहीं देगा, जिसमें योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रेषित जानकारी शामिल है
d. विदेशी मूल के बोलीदाता/एजेंसी को भारत में अपने एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते (यदि कोई हों) का खुलासा करना होगा। इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता/एजेंसी को अपने विदेशी एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते (यदि कोई हों) का खुलासा करना होगा। किसी प्रस्ताव में या तो भारतीय एजेंट विदेशी प्रिंसिपल की ओर से या विदेशी प्रिंसिपल स्वयं बोली लगा सकते हैं, दोनों नहीं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां कोई एजेंट किसी प्रस्ताव में भाग लेता है,यदि कोई एजेंसी/सेवा प्रदाता पहले से ही किसी अन्य एजेंसी/सेवा प्रदाता की ओर से बोली लगाता है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी।उसी मद के लिए एक बाद के/समानांतर प्रस्ताव में।
e. बोलीदाता/एजेंसी अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अनुबंध प्रदान करने के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को किए गए, किए जाने वाले या किए जाने का इरादा रखने वाले सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे।

3. बोलीदाता/एजेंसी ऊपर उल्लिखित अपराधों को करने के लिए तीसरे व्यक्तियों को उकसाएंगे नहीं या ऐसे अपराधों में सहायक नहीं होंगे

4. बोलीदाता/एजेंसी प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार में शामिल नहीं होंगे, जिसका अर्थ है जानबूझकर तथ्यों का गलत प्रतिनिधित्व या चूक करना या नकली/जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करना ताकि सार्वजनिक अधिकारी को उन पर भरोसा करके कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिसका उद्देश्य अनुचित लाभ प्राप्त करना या दूसरों के उचित हितों को नुकसान पहुंचाना और/या सरकारी हितों के लिए हानिकारक तरीके से खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करना हो

5. बोलीदाता/एजेंसी, प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, बोली प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार की जबरदस्ती प्रथाओं (जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को संभावित या वास्तविक क्षति पहुँचाने वाली धमकी, डरावा या बल के प्रयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्राप्त करना, किसी कार्रवाई के लिए बाध्य करना या किसी निर्णय को प्रभावित करना) का उपयोग नहीं करेंगे

<u>अनुच्छेद 3: उल्लंघन के परिणाम</u>

कानून या अनुबंध या इसकी स्थापित नीतियों और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत प्रिंसिपल/मालिक को उपलब्ध किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोलीदाता(कों)/एजेंसी(यों) द्वारा इस अखंडता समझौते के उल्लंघन की स्थिति में प्रिंसिपल/मालिक को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे और बोलीदाता/एजेंसी प्रिंसिपल/मालिक के इस पूर्ण अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने का वचन देती है:

1. यदि बोलीदाता/एजेंसी ने अनुबंध दिए जाने से पहले या अनुबंध के निष्पादन के दौरान उपरोक्त अनुच्छेद 2 का उल्लंघन करके या किसी अन्य रूप में ऐसा कोई उल्लंघन किया है जिससे उसकी विश्वसनीयता या साख पर सवाल उठता हो, तो मूल/मालिक एजेंसी को 14 दिन का नोटिस देने के बाद बोलीदाता/एजेंसी को बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या पहले से निष्पादित अनुबंध को समाप्त/रद्द करने या बोलीदाता/एजेंसी को भविष्य की अनुबंध आवंटन प्रक्रियाओं से बाहर करने का अधिकार रखता है। निष्कासन की अवधि उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर निर्धारित की जाएगी और मूल/मालिक द्वारा तय की जाएगी। ऐसा निष्कासन हमेशा के लिए या मूल/मालिक द्वारा तय की गई सीमित अवधि के लिए हो सकता है।
2. **सुरक्षा जमा राशि की ज़ब्ती:**यदि प्रिंसिपल/मालिक ने अनुबंध प्रदान करने से पहले बोली लगाने वाले/वालों को बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है या अनुबंध समाप्त/रद्द कर दिया है या अनुच्छेद 3(1) के अनुसार अनुबंध समाप्त/रद्द करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो प्रिंसिपल/मालिक, प्रिंसिपल/मालिक को प्राप्त किसी भी कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के अलावा, अपने विवेकानुसार बोली लगाने वाले/एजेंसी की संपूर्ण सुरक्षा जमा राशि जब्त कर सकता है।
3. **आपराधिक दायित्व:**यदि प्रिंसिपल/मालिक को किसी बोलीदाता या एजेंसी, या उसके किसी कर्मचारी, प्रतिनिधि या सहयोगी के ऐसे आचरण की जानकारी प्राप्त होती है जो आईपीसी अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, या यदि प्रिंसिपल/मालिक को इस संबंध में ठोस संदेह है, तो प्रिंसिपल/मालिक आगे की जांच के लिए इसकी सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देगा।

<u>अनुच्छेद 4: पूर्व उल्लंघन</u>:

1. बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले 5 वर्षों में किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ कोई पूर्व उल्लंघन नहीं हुआ है, जो इसकी पुष्टि करता हैभ्रष्टाचार विरोधीभारत में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ कोई दृष्टिकोण या संबंध जो बोली प्रक्रिया से उनके बहिष्कार को उचित ठहरा सके

2. यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या प्रिंसिपल/मालिक द्वारा उचित समझे जाने पर बोलीदाता/एजेंसी के व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध/छुट्टी सूचीकरण के लिए कार्रवाई की जा सकती है

3. यदि बोलीदाता/एजेंसी यह साबित कर सकता है कि उसने अपने द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई कर ली है और एक उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित कर ली है, तो प्रिंसिपल/मालिक अपने विवेक से, बहिष्करण को समय से पहले रद्द कर सकता है

<u>अनुच्छेद 5: सभी बोलीदाताओं/एजेंसियों/उप-एजेंसियों के साथ समान व्यवहार</u>:

1. बोलीदाता/एजेंसी सभी उप-एजेंसियों से इस सत्यनिष्ठा समझौते के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करने का वचन देते हैं। बोलीदाता/एजेंसी अपनी किसी भी उप-एजेंसी/उप-विक्रेता द्वारा इस समझौते/समझौते में निर्धारित सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे।

2. मुख्य व्यक्ति/मालिक सभी बोलीदाताओं और एजेंसियों के साथ इसी तरह की शर्तों पर समझौते करेगा।

3. यदि कोई बोलीदाता, प्रस्ताव के साथ प्रधान/मालिक और बोलीदाता के बीच विधिवत हस्ताक्षरित समझौता प्रस्तुत नहीं करता है या बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो प्रधान/मालिक उसे बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा।

अनुच्छेद-6 - समझौते की अवधि:

1. यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने पर लागू होता है। एजेंसी/विक्रेता के लिए यह अनुबंध के तहत कार्य पूर्ण होने के 12 महीने बाद या दोष दायित्व अवधि की निरंतरता तक, जो भी अधिक हो, समाप्त हो जाता है, और अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए यह अनुबंध दिए जाने तक लागू रहता है।

2. यदि इस अवधि के दौरान कोई दावा किया जाता है/दर्ज किया जाता है, तो वह ऊपर निर्दिष्ट इस समझौते की समाप्ति के बावजूद बाध्यकारी होगा और वैध बना रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी, डीडीए द्वारा इसे रद्द/निर्धारित नहीं कर दिया जाता है।

<u>अनुच्छेद 7- अन्य प्रावधान</u>:

1. यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है, और नई दिल्ली में क्षेत्राधिकार लागू होगा।दिल्ली में सामान्य तौर पर और प्रदर्शन का स्थान प्रिंसिपल/मालिक द्वारा सूचित किया जाएगा।

2. परिवर्तन और संशोधन लिखित रूप में किए जाने चाहिए। कोई गोपनीय समझौता नहीं किया गया है।

3. यदिएजेंसी एक साझेदारी या संघ है, तो इस समझौते पर सभी साझेदारों या सभी साझेदारों और संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले एक या अधिक साझेदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। कंपनी के मामले में, समझौते पर बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए

4. यदि इस समझौते के एक या अनेक प्रावधान अमान्य सिद्ध होते हैं, तो भी समझौते के शेष प्रावधान वैध बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में, पक्षकार अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप समझौते पर पहुंचने का प्रयास करेंगे।

5. यह एक सहमत नियम और शर्त है कि इस अखंडता समझौते/समझौते की शर्तों के संबंध में पक्षों के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होने पर, इस अखंडता समझौते/समझौते या इसकी व्याख्या के अनुसार स्वामी/प्रधान द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई मध्यस्थता के अधीन नहीं होगी

<u>अनुच्छेद 8- कानूनी और पूर्वोक्त अधिकार</u>

इस अनुबंध और/या कानून के तहत दोनों पक्षों को प्राप्त सभी अन्य कानूनी अधिकारों और उपायों के अतिरिक्त, इस समझौते के पक्षकारों के सभी अधिकार और उपाय होंगे, और इन्हें उपरोक्त कानूनी अधिकारों और उपायों के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि संचयी माना जाएगा। संक्षेप में, दोनों पक्ष सहमत हैं कि इस अखंडता समझौते के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रावधान के संबंध में, यह अखंडता समझौता प्रस्ताव/अनुबंध दस्तावेजों पर प्राथमिकता रखेगा।

इसके प्रमाण स्वरूप, पक्षकारों ने उपर्युक्त स्थान और तिथि पर निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर और निष्पादन किए हैं:

…….

(प्रधान/मालिक की ओर से)

……

(बोलीदाता/एजेंसी की ओर से)

<u>गवाह</u>:

1. …….

(हस्ताक्षर, नाम और पता)

2. ……..
(हस्ताक्षर, नाम और पता)

स्थान:

दिनांक:-